

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान करनी राम बनाम गोविन्द राम आदि
 प्रकरण संख्या 33 / 2020 अन्तर्गत धारा 88, 188, 12A RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालना
--------	-----------------------------------	-------------------

14/05/25 वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को रुक-रूक उबार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 12A RTA अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णति लेकर नम्बर से कम लेकर दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)